

विधान सभा सचिवालय

उत्तराखण्ड

(समिति वित्त अनुभाग)

संख्या: 26 / वि०स० / 14 / लो०ले०स० / 2017

देहरादून, दिनांक : 12, दिसम्बर, 2017

अधिसूचना

इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या : 228 / वि०स० / 05 / समिति / 2017 दिनांक 03 नवम्बर, 2017 के क्रम में, सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 218(3) के अनुसरण में जनपद हरिद्वार के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 33- मंगलौर से निर्वाचित उत्तराखण्ड (चतुर्थ) विधान सभा के सदस्य, काजी मौ० निजामुद्दीन, गुरुवार, दिनांक 07 दिसम्बर, 2017 को सम्पन्न लोक लेखा समिति की बैठक में सर्वसम्मति से उत्तराखण्ड विधान सभा की लोक लेखा समिति (2017-2018) के सभापति निर्वाचित हुए हैं।

आज्ञा से,

(जगदीश चन्द्र)

सचिव।

Notification

In pursuance of notification no.228/vs/05/committee/2017, Dated 03 november 2017 It is hereby notified for public information that in pursuance of Rules- 218(3) of the Rules of procedure & conduct of Business of Uttarakhand Legislative Assembly 2005, Qazi Mohammad Nizamuddin, an elected member of Uttarakhand 4th Legislative Assembly from 33- Manglore constituency of district Haridwar has been elected unanimously the Chairman of Public Account Committee (2017-2018) in the meeting of the Committee held on Thursday, 07th December, 2017.

By order,

(Jagdish chandra)

Secretary

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :-

1. समस्त माननीय सदस्यगण, विधान सभा, उत्तराखण्ड,
2. माननीय मुख्यमंत्री के निजी सचिव को माननीय मुख्यमंत्री की सूचनार्थ,
3. माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव को माननीय अध्यक्ष की सूचनार्थ,
4. माननीय उपाध्यक्ष के निजी सचिव को माननीय उपाध्यक्ष की सूचनार्थ,
5. समस्त मंत्रियों के निजी सचिवों को माननीय मंत्रियों की सूचनार्थ,
6. माननीय नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव को माननीय नेता प्रतिपक्ष की सूचनार्थ,
7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन,
8. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन,
9. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून,
10. पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा शाखा, अभिसूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून,
11. महालेखाकार उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़, देहरादून,
12. सचिव, निर्वाचन आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली,
13. सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य विभाग, 84 संसद भवन, नई दिल्ली,
14. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड,
15. महानिदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड,
16. प्रभारी मीडिया सेंटर, विधान भवन, उत्तराखण्ड,
17. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाँऊ, उत्तराखण्ड,
18. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड,
19. महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल,
20. सचिव, विधि मंत्रालय, विधिक कार्य विभाग भारत सरकार, नई दिल्ली,
21. सचिव गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली,
22. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित की वे असाधारण राजपत्र में मुद्रित कराते हुए राजपत्र की दस मुद्रित प्रतियां इस सचिवालय को उपलब्ध कराने कष्ट करें।
23. शोध एवं संन्दर्भ अधिकारी विधान सभा को वैबसाइड हेतु।
24. महासचिव, लोक सभा/राज्य सभा तथा अन्य राज्यों की विधान सभा के प्रमुख सचिव/सचिव,
25. विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग,

(जगदीश चन्द्र)
सचिव।